

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000 किमी०)

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि की मांग का पूर्ण औचित्य

उक्त मोटर मार्ग द्वारा ग्राम सोसा जीमाफी (जयकोट) को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना प्रस्तावित था। जिसमें लगभग 102० जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में ग्राम सोसा जिसका तोक नारायण आश्रम एवं नयन के 35 परिवार एवं जयकोट के तोक पस्ती 50 परिवार पी०एम०जी०एस०वाई० के द्वारा निर्मित मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है, पस्ती एवं नयन तोक ग्राम पी०एम०जी०एस०वाई० के द्वारा निर्मित मोटर मार्ग से लगभग 2.00 किमी० दूरी पर स्थित होने के कारण मोटर मार्ग से वंचित है, प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से उक्त ग्रामों के लगभग 85 परिवारों को मोटर मार्ग की सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही साथ प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम सोसा एवं जयकोट को दोहरी संयोजकता प्राप्त होगी, तथा व्यास घाटी एवं चौदास घाटी को परस्पर संयोजकता प्राप्त होगी।

यह क्षेत्र मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी एवं भेड़पालन है। अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में ग्रामीणों को पहाड़ के फिसलन भरे रास्तों से जाने आने में प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के प्रमुख ऊपज राजमा, धान व जड़ी बूटियां हैं जिन्हें बाजार में अच्छे दाम प्राप्त होते हैं, किन्तु मोटर मार्ग के अभाव में यह संभव नहीं हो पा रहा है।

इस मार्ग में आ रही न्यूनतम वनभूमि 2.1107 है० के हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त प्रस्तावित संरेखन के अलावा अन्य कोई सरलतम मार्ग नहीं होने के कारण इस संरेखन के अलावा अन्य किसी संरेखन में इससे कम वनभूमि एवं कम वृक्ष नहीं आ रहे हैं। मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है एवं 9.00 मी० में वृक्षों की गणना की गई है। मोटर मार्ग का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है एवं उनके द्वारा मोटर मार्ग बनाया जाना उचित माना गया है। इस मार्ग में कोई ऐतिहासिक भवन, राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक भवन एवं कब्रिस्तान नहीं पड़ रहे हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय जनता की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस मोटर मार्ग का बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः कुल 2.1107 है० वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिए यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

इ० जी० सी० भट्ट
सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि० धारचूला

इ० वी० के० सिन्हा
अभियन्ता
निर्माण कार्य लो० नि० वि०
अम्बेड (पिथौरागढ़)

वी० रंजु अलिमा
वन विभागीय अधिकारी
धारचूला

पिथौरागढ़ वन विभाग, पिथौरागढ़